गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)
विकास पथ, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग – 8
संख्या : 1767 / आठ–8–2021–34 एल.यू.सी. / 2019
लखनऊ : दिनांकः 17 सितम्बर 2021

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत गाजियाबाद महायोजना–2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'दी पाईनियर' के संस्करण में दिनांक 06.03.2019 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठिन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)–1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल गाजियाबाद महायोजना–2021 में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि के सम्मुख अंकित भू–उपयोग केवल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रयोजनार्थ निम्नानुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान करते हैंः–

अनुसूची

ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में0)	गजियाबाद महायोजना–2021 में वर्तमान भू–उपयोग	परिवर्तित भू–उपयोग
नूरनगर	1174 मि	0.7852	संस्थागत	आवासीय
	कुल योग	**0.7852 हे0**		

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

ई-मेलः helplinegda@gmail.com, f : @gdagzb, t :@gdagzb
हेल्पलाईन नं.:0120-3342433, व्हाट्सएपः 9818988807, वेबसाईटः www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प